निर्णय बईजलास डॉ. भारती दीक्षित, आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 05/अपील/22 तारीख दायरा: 03.03.2022

कैलाश चन्द आ0 किशनलाल माली नि0 निपानियाउदा(मालीखेड़ा) तहसील पचपहाड़ (अपीलान्ट)
बनाम
राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़ (रेस्पो0)

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार पचपहाड़ निर्णय दिनांक 16.11.2021
मिसल न0 1675

उपस्थितः— श्री आशीष गुप्ता, अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

—: निर्णय :— दिनांकः 05.04.2022

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपहाड़ के आदेश दिनांक 16.11.2021 जो मिसल न0 1675 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम निपानियाउदा तहसील पचपहाड़ की आराजी ख0न0 59/300 रकबा 0.1896 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमी मानकर 51/—रू0 शास्ती तथा 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना,केप्रिशियस तथा परवर्स होने से अपास्त योग्य है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया जाकर एक तरफा निर्णय पारित किया गया है । प्रार्थी को हल्का पटवारी से जिरह का मौका भी नही दिया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्ठी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनगाना,केप्रिशियस तथा परवर्स होने से अपास्त योग्य है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया जाकर एक तरफा निर्णय पारित किया गया है । प्रार्थी को हल्का पटवारी से जिरह का मौका भी नही दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा आराजी पर से अतिक्रमण हटा लिया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया जाने पर बेदखल की कार्यवाही की गई थी, इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट का उक्त आराजी पर कब्जा नही होना अंकन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को इस अपील के माध्यम से राहत दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में अन्दर 15 योम की अवधि में 20000/— रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करे कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वंय अतिक्रमण करेगें और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगें। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वंय का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नही होगी। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
झालावाड़